

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

कमांक एफ 13-05/2004/20-1

भोपाल दिनांक 14/05/08

प्रति,

1. आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0भोपाल
2. आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र
म0प्र0भोपाल

विषय:—एक नवम्बर अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों (प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक) को सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

—00—

राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक वर्ग (जिसमें प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक पद हैं) जो एक नवम्बर के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं, शिक्षण सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकार निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

| | | |
|---|---|--|
| 1 | प्राचार्य/प्राध्यापक शिक्षा महाविद्यालय | राज्य शासन (प्रशासनिक विभाग) |
| 2 | सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता, शिक्षा महाविद्यालय | संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद |
| 3 | प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | आयुक्त, लोक शिक्षण |
| 4 | व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | आयुक्त, लोक शिक्षण |
| 5 | प्रधानाध्यापक/शिक्षक | संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण |
| 6 | सहायक शिक्षक | जिला शिक्षा अधिकारी |

2/ ऐसे सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति और उसके माध्यम से महालेखाकार के आदेश पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

निरन्तर.2.

3/ सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के आदेश वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जारी किये जावें । इस संबंध में पुनर्नियुक्ति दिये जाने वाले अध्यापकों की गोपनीय चरित्रावली, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् कार्य पर बने रहने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही उनके सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये जावें ।

4/ पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति इन शर्तों पर ही दी जाया करे कि पुनर्नियुक्ति पर उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि काटकर जो शेष बची राशि वह वेतन के रूप में प्राप्त होगी, तथा पेंशन पृथक से देय होगी, परन्तु वेतन और पेंशन दोनों को मिलाकर पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न होगी । वित्त विभाग के ज्ञापक 0 ई-4/4/79/नियम/5/4, दिनांक 20.10.84 के अनुसार पेंशन पर देय राहत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी !

5/ उन्हें पेंशन तथा वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा ।

6/ किसी भी ओर से एक माह के नोटिस पर पुनर्नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

7/ यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ.क. 2453/07/नि/चार, दिनांक 17.01.08 द्वारा सहमति प्राप्त होने के उपरांत जारी किये जाते हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से
तथा आदेशानुसार

20/14-5-08
(आर०पी०त्रिपाठी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क० एफ 13-05/2004/20-1

भोपाल, दिनांक 14/05/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. आयुक्त, आदिवासी विकास/जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल

निरंतर.3..

5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
 6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
 7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.
 8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
 9. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
 10. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. आर्डर बुक

21/5/08

अवर सचिव

म०प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/एम/पुनर्नियु./01/08/44
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/01/2009

- 1- समस्त
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
संभागीय कार्यालय
मध्यप्रदेश ।
- 2- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय:- एक नवम्बर अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों (प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक) को सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13-05/2004/20-1
दिनांक 14.05.2008

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक वर्ग (जिसमें प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक पद है) जो एक नवम्बर के पश्चात् से.नि. होते हैं, शैक्षणिक सत्र के अन्ततक अर्थात् 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं । सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासन पत्र की छायाप्रति संलग्न है । उक्त शासन निर्देशों के क्रम में सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

11/1/09
संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 14/01/2009

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/एम/पुनर्नियु./01/08/45
प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
- 2- महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
- 3- आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 3- समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
- 4- समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11/1/09
संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश